लखनऊ विकास प्राधिकरण

विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004

वेबसाइट : www.ldaonline.co.in, ई–मेल : ldacecivil@gmail.com

ठेकेदारों के पंजीकरण / नवीनीकरण सम्बन्धी

नियमावली

वित्तीय वर्ष : 2024–2025

मूल्य : रू0 1,770 / – (18%जी.एस.टी. सहित)

.... श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र वर्ष 2024–2025

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

मूल्य रू0 1,770/– (जी.एस.टी. सहित)

1. नाम/फर्म .... (सिविल/विद्युत)
2. फर्म का प्रकार .... (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/लिमिटेड क0/प्राइवेट लिमिटेड क0)
3. पूरा पता ....

   मो0 नं0 .... फोन नं0 .... ई–मेल : ....
4. स्वामित्व/पार्टनरशिप (प्रति संलग्न करें) (संलग्न–1)
5. स्टाफ की संख्या, नाम व पते। (संलग्न–2)
6. वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र। (संलग्न–3)
7. जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र एवं सत्यापित निवास स्थान का पता। (संलग्न–4)
8. दो नवीनतम प्रमाणित फोटो संलग्न करनी होगी। (समस्त भागीदारों की) (संलग्न–5)
9. आयकर विभाग से पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति एवं बैलेन्स शीट, पैन नम्बर की छायाप्रति। (संलग्न–6)
10. आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। (समस्त भागीदारों की) (संलग्न–7)
11. वाणिज्यकर विभाग द्वारा निर्गत जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति। (संलग्न–8)
12. इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार/ब्लड रिलेशन लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। (संलग्न–9)
13. निर्माण/विकास कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी की सूची। (संलग्न–10)
14. पिछले चार वर्षों में किये गये निर्माण/विकास कार्यों के विवरण की सूची। (संलग्न–11)
15. अनुभव प्रमाण पत्र। (संलग्न–12)
16. डिग्री/डिप्लोमा होल्डर अभियन्ता की डिग्री/डिप्लोमा की प्रमाणित प्रतिलिपि। (संलग्न–13)
17. पार्टनरशिप फर्म के लिए फर्म ऑफ सोसायटी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न–14)
18. विद्युत कार्य के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशक, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत श्रेणी–"क" अनुमोदित लाइसेन्स प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न–15)
19. इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि प्रस्तुत किये गये अभिलेख यदि असत्य पाये जाते हैं, तो फर्म के पंजीकरण को निरस्त करते हुए विभाग विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा। (संलग्न–16)
20. कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) प्रमाण–पत्र। (संलग्न–17)

नवीनतम सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के)	नवीनतम सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के)	नवीनतम सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के)	नवीनतम सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के)
नमूना हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर
नाम	नाम	नाम	नाम ....
पता	पता	पता	पता ....
पैन कार्ड नं0	पैन कार्ड नं0	पैन कार्ड नं0	पैन कार्ड नं0 ....
आधार नं0	आधार नं0	आधार नं0	आधार नं0 ....
ई–मेल	ई–मेल	ई–मेल	ई–मेल ....
मोबाइल नं0	मोबाइल नं0	मोबाइल नं0	मोबाइल नं0 ....
लैण्डलाइन नं0	लैण्डलाइन नं0	लैण्डलाइन नं0	लैण्डलाइन नं0 ....

लखनऊ विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम व शर्तें

1. भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निम्नानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु अधिकृत हैं :-

ए–श्रेणी	रू0 150.00 लाख से अधिक
बी–श्रेणी	रू0 75.00 लाख से अधिक, रू0 150.00 लाख तक
सी–श्रेणी	रू0 25.00 लाख से अधिक, रू0 75.00 लाख तक
डी–श्रेणी	रू0 25.00 लाख तक

<u>सड़क सम्बन्धी कार्य</u> –

सड़क सम्बन्धी कार्य जिसमें पेवर के माध्यम से कार्य कराया जाना है, हेतु पृथक से पंजीकरण कराना होगा, जिसमें स्वयं का पेवर प्लाण्ट, हॉटमिक्स प्लाण्ट का होना आवश्यक है। पेवर सम्बन्धी कार्य हेतु पृथक से पंजीकरण कराने के लिए पेवर, हॉटमिक्स प्लाण्ट आदि के स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे तथा श्रेणी–ए सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करनी होंगी एवं मशीनरी आदि की सूची परिशिष्ट–3 के अनुसार होगी।

2. निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। "विशिष्ट श्रेणी" के कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ठेकेदार भी निविदा डालने के लिए अधिकृत होंगे, परन्तु अपंजीकृत ठेकेदार के सफल निविदादाता होने की स्थिति में अनुबन्ध से पूर्व उपयुक्त श्रेणी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। किसी फर्म द्वारा कार्य विशेष हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के विशिष्ट श्रेणी के कार्य हेतु निविदा डालने पर प्राधिकरण में पंजीकरण की समस्त औपचारिकताएं दो माह के अंदर पूर्ण कराते हुए फर्म का पंजीकरण कराना होगा। सभी पार्टनर/डायरेक्टर के चरित्र प्रमाण पत्र न होने की दशा में ठेकेदार/फर्म द्वारा इस आशय का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि ठेकेदार/फर्म में कोई स्वामी/निदेशक/पार्टनर आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है एवं किसी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में क्रिमिनल केस विचाराधीन नहीं है एवं एक निश्चित अवधि (अधिकतम 3 माह) में सभी के चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

3. निर्माण कार्यों पर निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।

4. निर्माण कार्यों पर संलग्न परिशिष्ट संख्या–2 एवं सडक कार्य हेतु परिशिष्ट संख्या–3 के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल, खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा। यदि मशीनरी स्थल पर नहीं लायी जाती है तो मशीनरी का किराया जैसा कि निविदा प्रपत्र में निहित हो, बिल से काटा जायेगा।

5. ठेकेदारों को कार्य की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत धनराशि अथवा जैसा भी निविदा सूचना में अंकित हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा क्रय करने से पूर्व निविदा सूचना में अंकित पोर्टल के माध्यम से आनलाइन जमा करनी होगी।

6. चलित देयकों से 10 प्रतिशत की दर से अथवा निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार जमानत राशि काटी जायेगी।

7. पंजीकृत ठेकेदारो को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, फिनिशिंग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को काली सूची में दर्ज करने, युक्तियुक्त अर्थदण्ड लगाने तथा निविदाओं में प्रतिभाग करने से रोक लगाने का अधिकार मुख्य अभियन्ता/अभियन्त्रण अनुभाग में पदस्थ वरिष्ठतम अभियन्ता को होगा।

8. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट सम्बन्धी (निकट का रिश्तेदार) लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। निकट सम्बन्धी का अर्थ पिता, पुत्र, भाई, बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्ट कजिन, सास–श्वसुर, दामाद, बहनोई, पत्नी/पति के भाई–बहिन, माता, मामा–मामी, मौसी, चचेरे भाई–बहिन, मौसेरे भाई–बहिन आदि (संविधान में वर्णित प्राविधान के अनुसार) से है। यदि पंजीकरण के उपरान्त इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

9. किसी ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण जिसने प्राधिकरण में सर्विस की हो, प्राधिकरण में सर्विस समाप्त होने के दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही किया जायेगा।

10. निविदा मूल्य निम्न प्रकार अथवा भविष्य में संशोधन की स्थिति में तदनुसार देय होगा :

कार्य की अनुमानित लागत	निविदा मूल्य
रू0 10.00 लाख तक	रू0 650.00 + 18 प्रतिशत जी.एस.टी.
रू0 10.00 लाख से 25.00 लाख तक	रू0 1250.00 + 18 प्रतिशत जी.एस.टी.
रू0 25.00 लाख से 75.00 लाख तक	रू0 2500.00 + 18 प्रतिशत जी.एस.टी
रू0 75.00 लाख से अधिक	रू0 3700.00 + 18 प्रतिशत जी.एस.टी

11. हैसियत प्रमाण पत्र परिशिष्ट–4 के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा (जो पूरे चालू वित्तीय वर्ष के लिय मान्य हो)। फर्म/कम्पनी के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म/कम्पनी के नाम की हैसियत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। प्रोपराईटर के सम्बन्ध में चरित्र प्रमाण–पत्र सम्बन्धित व्यक्ति का, पार्टनरशिप फर्म के सम्बन्ध में सभी पार्टनर का एवं कम्पनी के सम्बन्ध में कम्पनी के सभी डायरेक्टर्स का चरित्र प्रमाण–पत्र जिला मजिस्ट्रेट से जारी प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

12. आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र एवं वर्तमान में निवास स्थान का पता की फोटो प्रति सत्यापित कराकर देना होगा।

13. प्रमाण पत्रों के साथ चस्पा की जाने वाली फोटो स्वप्रमाणित होनी चाहिए।

14. सभी पंजीकृत ठेकेदारों को परिचय पत्र निर्गत किये जायेंगे जो प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।

15. विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय, अनुबन्ध एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार एवं उसके द्वारा अधिकृत जो कोई एक व्यक्ति ही करेगा, का शपथ पत्र देना होगा।

16. ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ रू0 100/– का स्टाम्प पेपर तथा रू0 1/– का रेवेन्यू स्टैम्प पर ठेकेदार मानक भाषा में हस्ताक्षर कर संलग्न किया जायेगा, जिस पर ठेकेदार द्वारा यह अण्डरटेकिंग दी जायेगी कि निविदा की दरें वैधता की अवधि 90 दिन में वापस नहीं ली जायेगा तथा यदि निर्धारित वैधता अवधि में निविदा की दरें वापस ली जाती हैं, तो उस स्थिति में निविदा के साथ संलग्न धरोहर राशि (100 प्रतिशत) जब्त कर ली जायेगी।

17. किसी भी ठेकदार/फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण एक वर्ष, दो वर्ष एवं तीन वर्ष की अवधि तक किया जायेगा। इस अवधि में ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये चरित्र प्रमाण–पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि कलातीत हो जाने पर निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा।

पंजीकरण शुल्क केवल एक बार देय होगा एवं नवीनीकरण शुल्क संलग्न परिशिष्ट संख्या–4 के अनुसार प्रतिवर्ष की दर से देय होगा जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक एवं फर्म के स्वेच्छा/सुविधानुसार 03 वर्ष हेतु अगले वर्ष में 31 मार्च तक मान्य होगा।

18. वांछित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ न जमा करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार मुख्य अभियन्ता/अभियन्त्रण अनुभाग में पदस्थ वरिष्ठतम अभियन्ता को सुरक्षित होगा।

19. पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण रखता है।

20. पंजीकृत ठेकेदारों के लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में भी समय–समय पर जारी किये गये आदेश मानने होंगे।

21. पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक भी कार्य ले सकेंगे।

22. क्षमता निर्धारण हेतु वर्क इन हैण्ड एवं गत चार वर्षों में किये गये कार्यों के विवरण संलग्न प्रारूप में देना होगा, जिसके साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

23. जमानत राशि निर्माण/विकास कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने तथा मुख्य अभियन्ता के अन्तिम भुगतान हेतु अनुमोदन के दिनांक, जो भी बाद में हो, के बारह माह बाद वापस की जायेगी।

24. ठेकेदारों द्वारा आयकर विभाग में पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति तथा बैलेन्स शीट देनी होगी।

(1) ए–श्रेणी के ठेकेदारों के लिए कम से कम 4 वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्यों हेतु पिछले चार वर्षों में कम से कम रू0 100.00 लाख प्रतिवर्ष औसत लागत के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/(पीएसयू) का प्रमाण पत्र देना होगा।

(2) बी–श्रेणी के ठेकेदारों के लिए 4 वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्यों हेतु पिछले तीन वर्षों में कम से कम रू0 50.00 लाख प्रतिवर्ष औसत लागत के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/(पीएसयू) का प्रमाण पत्र देना होगा।

(3) सी–श्रेणी के ठेकेदारों के लिए 4 वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्यों हेतु पिछले तीन वर्षों में कम से कम रू0 25.00 लाख प्रतिवर्ष औसत लागत के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/(पीएसयू) का प्रमाण पत्र देना होगा।

(4) आवेदन फार्म के साथ ही समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करायी जायेंगी। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।

नोट :– उपरोक्त वर्णित राजकीय विभाग / राजकीय संस्थाओं / (पीएसयू) कम्पनी के द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र में किये गये कार्यों का संतोषजनक रूप से पूर्ण होने का उल्लेख होना चाहिए, जिसकी पुष्टि कराने के उपरान्त अभिलेखानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो सभी श्रेणी की फर्मों पर मान्य होगी।

25. ठेकेदारों का पंजीकरण एक बार में एक वर्ष के लिए, फर्म की स्वेच्छा / सुविधानुसार तीन वर्ष के लिए किया जाएगा, जो वित्तीय वर्ष के अन्त तक वैध होगा। पूर्व पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण आगामी एक वर्ष / तीन वर्ष के लिए किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र तथा हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात् पुनः नवीन चरित्र प्रमाण पत्र तथा हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही पंजीकरण / नवीनीकरण की वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

फर्म / कम्पनी के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म / कम्पनी के नाम की हैसियत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। प्रोपराईटर के सम्बन्ध में चरित्र प्रमाण–पत्र सम्बन्धित व्यक्ति का, पार्टनरशिप फर्म के सम्बन्ध में सभी पार्टनर का एवं कम्पनी के सम्बन्ध में कम्पनी के सभी डायरेक्टर्स का चरित्र प्रमाण–पत्र जिला मजिस्ट्रेट से जारी प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

26. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वे आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के प्राविधानों के अनुसार विवाद की मध्यस्थता स्वयं करें या प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता अथवा किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर दें। इस प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष का मान्य होगा।

27. यदि कोई फर्म किन्हीं कारणों से प्राधिकरण द्वारा ब्लैकलिस्ट की जाती है तो उस फर्म का स्वामी या पार्टनर किसी अन्य फर्म का पार्टनर या स्वामी है तो वह फर्म भी ब्लैकलिस्ट स्वतः ही हो जायेगी।

28. बी.ई. / बी.टेक (सिविल) एवं समकक्ष डिग्रीधारकों का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के "बी" श्रेणी में किया जा सकता है।

29. डिप्लोमाधारी सिविल के अभ्यर्थियों हेतु पंजीकरण "सी" श्रेणी में बिना किसी अनुभव के किया जा सकता है।

30. विद्युतीकरण के कार्यों हेतु निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत "क"–श्रेणी अनुमोदित लाइसेन्स संलग्न करना होगा तथा नियमानुसार सिविल कार्यों की भाँति पंजीकरण / नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।

31. एक ठेकेदार एक ही मालिक की हैसियत से एक से अधिक नाम या व्यापार तथा साझेदारी की दशा में दो से अधिक नाम या व्यापार सूचीबद्ध नहीं करा सकता है। परन्तु किसी प्रतिष्ठान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्यता चाहे वह सूचीबद्ध हो या न हो, इस नियम के अन्तर्गत बाधक नहीं होगा।

32. रू0 40.00 लाख या उससे अधिक श्रेणी–सी अथवा उससे उच्च धनराशि के कार्य अथवा जैसा भी प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाये, की धनराशि के कार्य की निविदा टू–बिड सिस्टम के अन्तर्गत आमन्त्रित की जायेगी।

33. राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता ठेकेदारी के पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि आवेदक राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। कार्य का अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो

समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे पंजीकरण/अनुबन्ध को उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

34. ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी जो किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते हैं, को कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस श्रेणी के आवेदक पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं हैं। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

35. किसी भी ठेकेदार के ठेका दे दिये जाने के बाद भी यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा अन्य सम्पादित निविदाकर्ताओं को धमकाया गया है अथवा उन्हें प्रक्रिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया है अथवा यह पाया गया है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों अथवा संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस से जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, परन्तु निरस्तीकरण से पूर्व उसे कारण बताओ नोटिस अवश्य दी जायेगी।

36. किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

37. उक्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत किसी भी विवाद के निस्तारण का श्रेत्राधिकार लखनऊ स्थित न्यायालय का होगा।

38. यदि किसी फर्म/ठेकेदार/कम्पनी द्वारा वांछित प्रपत्रों हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव आदि के रूप में कोई असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

39. अन्य प्रान्तों के निवासित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा प्रपत्र हैसियत, चरित्र व निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रपत्रों में प्रचलित नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उक्त प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रदत्त अधिकारी ही इस राज्य में सक्षम है।

40. निर्धारित अवधि में पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क नहीं जमा कराने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।

41. लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद में पंजीकृत फर्में निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में पंजीकृत निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं को सम्बन्धित विभाग का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। कुछ ऐसे कार्य जिसमें पंजीकरण अनिवार्य नहीं हो, की शर्तों के अंतर्गत यदि कोई निविदादाता किसी निविदा में प्रतिभाग करता है तो ऐसे निविदादाताओं, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं, को सफलता की स्थिति में अनुबंध के समय लखनऊ विकास प्राधिकरण में नियमानुसार अपनी फर्म का पंजीकरण कराना होगा। ऐसे सफल निविदादाता उसी कार्य विशेष हेतु भी अपना प्रोफार्मा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो केवल उसी कार्य विशेष हेतु ही मान्य होगा, किसी अन्य कार्य की निविदा में प्रतिभाग करने हेतु मान्य नहीं होगा। उक्त प्रोफार्मा रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन पुस्तिका शुल्क एवं सम्बन्धित श्रेणी की पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी, धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होती।

42. विशेष परिस्थितियों में किसी भी फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण/नवीनीकरण वित्तीय वर्ष में करने का अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 में निहित रहेगा।

पंजीकरण निलम्बन :

किसी ठेकेदार, जिसके विरूद्ध निम्नांकित बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हो या धोखाधड़ी का आरोप हो, की सूचीबद्धता निलम्बित की जा सकती है और ऐसी दशा में उसे किसी भी कार्य के लिए निविदा देने की अनुमति तब तक नही दी जाएगी, जब तक उसके विरूद्ध लगे आरोपों की जांच नहीं हो जाती एवं वह आरोप मुक्त नहीं हो जाता।

(क) स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा बार–बार दुराचरण।
(ख) कार्य की असंतोषजनक प्रगति के लगातार अथवा निरन्तर दृष्टांत।
(ग) ऋण ग्रस्तता में अभ्यस्त होना।
(घ) बाजार में दुर्नाम।
(ड.) अपने मजदूरों एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार एवं श्रम नियमों की अव्हेलना।
(च) नशे की हालत में कार्य स्थल पर उपस्थित होना।
(छ) निम्न स्तर पर कार्य एवं सामग्री का प्रयोग करके गुणवत्ता की उपेक्षा करना।
(ज) अक्रमबद्ध तरीके से कार्य करना।
(झ) निर्गत की गयी सामग्री का समायोजन समय से प्रस्तुत न करना।
(ट) प्राधिकरण की सामग्री का गबन या दुरूपयोग।
(ठ) गोपनीयता भंग करके अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य स्रोतों तक सूचनायें पहुंचाना।
(ड) विपरीत स्थिति में पाये जाने पर/परिकल्पी बोली बोलना।
(ढ) किसी क्रिमिनल केस में न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित करने पर पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
(ण) समय–समय पर अन्य जो आदेश दिये जायें।

पंजीकरण सूची से हटाया जाना :

ऐसे ठेकेदार को जो,

(i) उपरोक्त पंजीकरण निलम्बन के किसी भी बिन्दु में किसी दोष के लिए दोषी पाया जाए अथवा
(ii) आचरण की दृष्टता से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्डित हुआ हो, अथवा
(iii) प्राधिकरण या उसी के समानान्तर किसी अन्य अभियन्त्रण संस्था द्वारा काली सूची में रखा गया हो, अथवा
(iv) निम्नलिखित में निहित **अयोग्यता** में आता हो।

पंजीकृत ठेकेदारों की सूची से तुरन्त निकाल दिया जायेगा। ऐसा आदेश वाला अधिकारी इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेगा कि वह निर्णय स्थायी है या किसी निश्चित काल के लिए उचित समझा गया है। आदेश में अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा।

एक ठेकेदार जिसका नाम इस पैरा के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदार की सूची से हटा दिया गया हो या निलम्बित कर दिया गया हो, किसी क्षतिपूर्ति या हर्जाने का हकदार न होगा।

अनुदेश :

पंजीकरण के लिए अधिकृत अधिकारी सूची से फर्म का नाम हटाने के आदेश पारित करेगा।

अयोग्यता :

वह व्यक्ति/फर्म पंजीकरण हेतु अयोग्य होगा, यदि वह

(i) आचरण की दृष्टि से संबंधित अपराध के लिए दण्डित हो चुका हो अथवा उससे सम्बन्ध रहा हो।
(ii) दिवालिया हो गया हो एवं उससे छुटकारा न पा सका हो, अथवा
(iii) अस्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, अथवा
(iv) प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद ग्रहण किया हो, अथवा
(v) प्राधिकरण की सेवा में किसी कर्मचारी/अधिकारी से आर्थिक रूप से या अन्य किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो, अथवा

पूर्व में पंजीकृत ठेकेदारों की सूची से हटाया गया हो एवं अवधि जिसके लिए वह हटाया गया हो, समाप्त नहीं हुई हो। प्रतिबन्ध यह कि ऐसे मामलों में उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 अपने विवेकानुसार छूट प्रदान कर सकते हैं।

अपवाद :

नियमों अथवा विधि के किसी प्राविधान के होते हुए भी, पंजीकरण, निलम्बन एवं पंजीकरण सूची से हटाये जाने सम्बन्धित मामलों के प्रत्यावेदन मुख्य अभियन्ता को दिये जा सकते हैं। तथा इनकी अपील सुनने का अधिकार उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. को होगा। प्रारम्भिक रूप से ऐसे मामले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे।

परिशिष्ठ संख्या–1

सिविल श्रेणी के निर्माण कार्यों पर नियमानुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा। (10/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

श्रेणी ("ए")	श्रेणी ("बी")	श्रेणी ("सी")	श्रेणी ("डी")
(1) दो ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर (2) दो डिप्लोमाहोल्डर सिविल इंजीनियर	(1) एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर (2) एक डिप्लोमाहोल्डर सिविल इंजीनियर	(1) एक डिप्लोमाहोल्डर सिविल इंजीनियर	–

विद्युत श्रेणी के कार्यों पर नियमानुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा। (10/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

श्रेणी ("ए")(विद्युत)	श्रेणी ("बी")(विद्युत)	श्रेणी("सी")(विद्युत)	श्रेणी("डी")(विद्युत)
(1) दो ग्रेजुएट विद्युत इंजीनियर (2) दो डिप्लोमाहोल्डर विद्युत इंजीनियर	(1) एक ग्रेजुएट विद्युत इंजीनियर (2) एक डिप्लोमाहोल्डर विद्युत इंजीनियर	(1) एक डिप्लोमाहोल्डर विद्युत इंजीनियर	–

परिशिष्ट संख्या–2

निर्माण कार्यों पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूची :– (10/– रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

क्रमांक	मशीनरी का नाम	श्रेणी "ए"	श्रेणी "बी"	श्रेणी "सी"
1.	कंकरीट मिक्सर	2	1	1
2.	वाइब्रेटर्स (पिन तथा सरफेस)	3	2	1
3.	वाटर पम्प्स/मड पम्प्स	2	1	1
4.	डीज़ल विन्चिस 65 टन क्षमता का	2	1	–
5.	एक्सकेवेटर–कम–लोडर, 1/2 से 1 घनमीटर क्षमता वाले	4	2	–
6.	डीज़ल जनरेटर सेट 25 कि0 वाट	1	–	–
7.	ट्रैक्टर ट्राली	2	1	–
8.	वाटर टेंकर	2	–	–
9.	थ्योडोलाइट	1	1	–
10.	लेवलिंग मशीन स्टाफ सहित	2	1	–

परिशिष्ट संख्या–3

सड़क निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक विभिन्न मशीनरी आदि की सूची :– (10/– रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित) एवं हॉट मिक्स प्लाण्ट तथा पेवर फिनिशर प्लाण्ट के स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

क्रमांक	मशीनरी का नाम	सभी श्रेणी हेतु
1.	पेवर फिनिशर	1
2.	कम्प्यूटाइज हॉट मिक्स प्लाण्ट	1
3.	बाब्रेटरी रोलर	1
4.	टेंडम रोलर	1
5.	स्टेटिक्स रोलर	1
6.	जे0सी0बी0	2
7.	ट्रिपर ट्रक	3
8.	एयर कम्प्रेसर	1
9.	बिटुमिन वायलर/स्प्रेयर	1
10.	वाटर टेंकर	2
11.	ट्रक्टर–ट्राली	1

परिशिष्ट संख्या–4

सिविल / विद्युत कार्यों हेतु क्षमता, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क एवं हैसियत

श्रेणी	कार्य प्राप्त करने की क्षमता (रू0 में)	पंजीकरण शुल्क (प्रथम बार) (रू0 में)	जमानत धनराशि (refundable) (रू0 में)	नवीनीकरण शुल्क (प्रति वर्ष) (रू0 में)	हैसियत प्रमाण पत्र (रू0 में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"ए"	150.00 लाख से अधिक	50,000 / –	2,50,000 / –	15,000 / –	50.00 लाख
"बी"	75.00 लाख से 150.00 लाख तक	25,000 / –	1,25,000 / –	10,000 / –	40.00 लाख
"सी"	25.00 लाख से 75.00 लाख तक	15,000 / –	50,000 / –	7,500 / –	20.00 लाख
"डी"	25.00 लाख तक	10,000 / –	25,000 / –	5,000 / –	10.00 लाख

नोट : उपरोक्त कालम–(4) में वर्णित जमानत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर. / टी0डी0आर0 के रूप में मुख्य अभियन्ता कार्यालय में जमा की जानी होगी।

शपथ–पत्र

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि :–

1. ....

2. ....

3. यह कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में मेरे द्वारा .... श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ जो प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं, वे सभी सत्य एवं वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं, यदि इनमें कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को मेरे/हमारे पंजीकरण/नवीनीकीरण को निरस्त कर देने एवं पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु जमा की गयी धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4. यह कि उक्त पंजीकरण/नवीनीकरण के पश्चात् यदि प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य मुझे आवंटित किया जाता है तथा कार्य आवंटन के पश्चात् भी, उक्त बिन्दु–3 के अनुसार यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को मेरे विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने तथा प्रश्नगत कार्य हेतु जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए कार्य का आवंटन निरस्त करने एवं शेष कार्य मेरे हर्जे–खर्चे पर कराये जाने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके विरूद्ध मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई वाद दायर नहीं किया जायेगा।

नाम : ....

पता : ....

....

मोबाइल नं0 : ....

ई–मेल : ....

पैन नं0 : ....

आधार नं0 : ....

लखनऊ विकास प्राधिकरण

क्र.	विभाग / खण्ड का नाम	कार्य का नाम	पिछले चार वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण				वर्क इन हैण्ड का विवरण			प्रमाण पत्र संलग्न की स्थिति
			कार्य का मूल्य	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि		कार्य का मूल्य (गत वर्षों में भुगतान के उपरान्त अवशेष)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	
					अनुबन्ध के अनुसार	वास्तविक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	वर्ष 2020–21									

नोट : यह विवरण वर्षवार प्राप्त भुगतान के आधार पर अनुमन्य होगा।